3. 11 वीं–13 वीं संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन संख्या 01/2024) को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए तथा इसमें संभावित अनियमितताओं की निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं समयबद्ध CBI जाँच का आदेश दिया जाए। जाँच में दोषी पाए जाने वाले सभी अधिकारियों, एजेंसियों एवं संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध विधिसम्मत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

4. जेपीएससी द्वारा आयोजित FRO (Forest Range Officer- विज्ञापन संख्या 04/2024) एवं ACF (Assistant Conservator of Forest- विज्ञापन संख्या 03/2024) भर्ती में UPSC की तर्ज पर सभी मान्य स्नातक धाराओं के अभ्यर्थियों को समान अवसर प्रदान किया जाए तथा शैक्षणिक पात्रता में सभी Graduate Streams को शामिल किया जाए। साथ ही, अभ्यर्थियों के हित में अधिकतम आयु-सीमा की गणना हेतु 01.08.2018 को आधार तिथि मानते हुए आवश्यक विशेष आयु-छूट प्रदान की जाए।

5. सहायक आचार्य के सभी 26,000 रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया को यथाशीघ्र पूर्ण किया जाए तथा जिन अभ्यर्थियों ने DB/डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) की प्रक्रिया पूरी कर ली है, उनका परिणाम तत्काल प्रकाशित कर नियुक्ति प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से पूरा किया जाए।

6. जेपीएससी एवं जेएसएससी द्वारा आयोजित सभी भर्ती परीक्षाओं के श्रेणीवार कटऑफ अंक तथा सभी अभ्यर्थियों के प्राप्तांक सार्वजनिक किए जाएँ।

7. जेपीएससी एवं जेएसएससी द्वारा विगत पाँच वर्षों में संपन्न कराई गई सभी चयन प्रक्रियाओं के संबंध में आयोग द्वारा लिखित "कंप्लायंस सर्टिफिकेट" जारी किया जाए, जिसमें यह प्रमाणित किया जाए कि प्रत्येक परीक्षा का विज्ञापन, आवेदन, प्रश्नपत्र निर्माण, परीक्षा संचालन, मूल्यांकन, परिणाम प्रकाशन तथा अंतिम चयन प्रक्रिया आयोग द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP), प्रचलित नियमों एवं पूर्ण पारदर्शिता के अनुरूप संपन्न की गई है।

8. जेपीएससी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं की उत्तर-पुस्तिकाएँ मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुरूप अभ्यर्थियों को भौतिक रूप में निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराई जाएँ।

9. झारखंड सिविल सेवा परीक्षा–2025 — Advt. No. 01/2026 (Regular Posts) एवं Advt. No. 05/2026 (Backlog Vacancies) के लिए प्रशासनिक विलंब से प्रभावित अभ्यर्थियों को न्यायसंगत अवसर प्रदान करते हुए 01.08.2018 को आधार तिथि मानकर अधिकतम आयु-सीमा निर्धारित की जाए तथा पात्र अभ्यर्थियों को विशेष आयु-सीमा में छूट प्रदान की जाए

10. राज्य सरकार के सभी विभागों में स्वीकृत पदों, कार्यरत पदों तथा कुल रिक्त पदों की विभागवार जानकारी सार्वजनिक की जाए।

11. जेपीएससी एवं जेएसएससी द्वारा आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं का निश्चित वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाए तथा उसका समयबद्ध पालन सुनिश्चित किया जाए।

12. जिन भर्ती परीक्षाओं को निरस्त (Cancelled) किया जाता है, उन्हें फास्ट-ट्रैक प्रक्रिया के अंतर्गत अधिकतम छह माह के भीतर पुनः आयोजित कर विज्ञापन से अंतिम परिणाम तक की संपूर्ण चयन प्रक्रिया पूर्ण की जाए।

13. जेपीएससी एवं जेएसएससी द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में यदि Normalization प्रक्रिया लागू की जाती है, तो उसकी संपूर्ण कार्यप्रणाली (Normalization Formula/Methodology), गणना का आधार, प्रयुक्त मापदंड तथा अभ्यर्थियों के प्राप्तांक पर उसके प्रभाव का विस्तृत विवरण परीक्षा परिणाम घोषित करने से पूर्व अथवा उसके साथ सार्वजनिक डोमेन (Official Website) पर अनिवार्य रूप से प्रकाशित किया जाए, ताकि चयन प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी, निष्पक्ष एवं सत्यापन योग्य बनी रहे।

14. अभय तिवारी द्वारा जिन-जिन प्रतियोगी परीक्षाओं/चयन प्रक्रियाओं में सफलता प्राप्त किए जाने की जानकारी उपलब्ध है, उन सभी मामलों की पात्रता, आवेदन, परीक्षा, मूल्यांकन, प्राप्तांक, रैंक एवं चयन प्रक्रिया की स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं समयबद्ध जाँच CBI से कराने हेतु आवश्यक आदेश प्रदान किए जाएँ [JSSC CGL (सेकंड टॉपर, पद : बीएसओ) ,JSSC PGT (अंग्रेजी), JPSC FSO, FRO, ACF, 2024 : 11वीं-13वीं JPSC परीक्षा]

B. Long-Term Demands (Within Three Months)

(तीन माह के भीतर पूर्ण की जाने वाली माँगें)

1 .जेपीएससी एवं जेएसएससी की वे सभी भर्ती परीक्षाएँ एवं चयन प्रक्रियाएँ, जो वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय अथवा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं, उनका शीघ्र एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा आवश्यक विधिक पहल (जैसे Mentioning/त्वरित सुनवाई का अनुरोध) की जाए, ताकि अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा हो तथा लंबित भर्तियों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके। जेपीएससी एवं जेएसएससी की सभी लंबित भर्ती परीक्षाओं से संबंधित मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

2. जेपीएससी एवं जेएसएससी द्वारा आयोजित सभी भर्ती परीक्षाओं की नियमावली स्पष्ट, सुदृढ़, पारदर्शी एवं त्रुटिरहित बनाई जाए।

3. जेपीएससी एवं जेएसएससी की मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) को सुदृढ़ बनाया जाए तथा सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्य एवं उत्तरदायित्व (Roles & Responsibilities) स्पष्ट रूप से निर्धारित कर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराया जाए।

4. प्रत्येक भर्ती परीक्षा (प्रारंभिक, मुख्य एवं साक्षात्कार) के प्रत्येक चरण के उपरांत आयोग के सचिव द्वारा लिखित Compliance Certificate जारी किया जाए, जिसमें प्रमाणित किया जाए कि परीक्षा का आयोजन एवं मूल्यांकन SOP के अनुरूप किया गया है। साथ ही सभी अभ्यर्थियों की OMR शीट, मुख्य परीक्षा की स्कैन उत्तर-पुस्तिकाएँ, प्रश्न-पत्र, उत्तर-कुंजी, श्रेणीवार कटऑफ, सभी अभ्यर्थियों के प्राप्तांक तथा चयन प्रक्रिया से संबंधित सभी सूचनाएँ सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराई जाएँ। उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन प्रतिष्ठित एवं स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से ऑनलाइन एवं SOP के अनुरूप कराया जाए।

5. जेएसएससी द्वारा आयोजित सभी भर्ती परीक्षाओं का संचालन टीसीएस (TCS) जैसी प्रतिष्ठित एवं अनुभवी एजेंसी के माध्यम से कराया जाए, ताकि परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।

6. जेएसएससी के सचिव श्री सुधीर गुप्ता के कार्यकाल में आयोजित पीजीटी, लैब असिस्टेंट, झारखंड म्यूनिसिपल सर्विसेज, जेएसएससी सीजीएल तथा अन्य भर्ती परीक्षाओं की उच्च स्तरीय स्वतंत्र जांच कराई जाए तथा आवश्यकता होने पर सक्षम जांच एजेंसी से जांच कराई जाए।

7. जेपीएससी एवं जेएसएससी की सभी भर्ती प्रक्रियाओं को अधिकतम एक वर्ष के भीतर पूर्ण करना अनिवार्य किया जाए तथा परीक्षा कैलेंडर का कठोरता से पालन सुनिश्चित किया जाए।

8. भर्ती प्रक्रियाओं में वर्षों से हुई अनावश्यक एवं प्रशासनिक देरी के कारण बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की आयु-सीमा प्रभावित हुई है। अतः समान अवसर एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, जेपीएससी की सभी भर्ती प्रक्रियाओं में अधिकतम आयु-सीमा 42 वर्ष निर्धारित की जाए ताकि प्रशासनिक विलंब का प्रतिकूल प्रभाव अभ्यर्थियों के संवैधानिक अवसरों पर न पड़े। (राजस्थान (RPSC RAS)-40 वर्ष , हरियाणा (HPSC)-42 वर्ष , ओडिशा (OPSC)-42 वर्ष , उत्तर प्रदेश (UPPSC)-40 , मध्य प्रदेश (MPPSC)-40 वर्ष , पश्चिम बंगाल (WBCS/PSC)- 45 वर्ष)

9. पुलिस आरक्षी, सहायक जेलर, दारोगा तथा अन्य सभी शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) आधारित भर्ती परीक्षाओं में 1.6 किमी दौड़ के लिए पुरुष अभ्यर्थियों हेतु 7 मिनट तथा महिला अभ्यर्थियों हेतु 12 मिनट की समय-सीमा निर्धारित की जाए।

10. झारखंड इंटरमीडिएट स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन संख्या 15/2023 एवं 16/2023) सहित सरकार/आयोग द्वारा निरस्त की गई सभी भर्ती परीक्षाओं के विज्ञापन वापस लेने का कारण सार्वजनिक डोमेन में प्रकाशित किया जाए तथा प्रत्येक परीक्षा के पुनः आयोजन हेतु निश्चित एवं समयबद्ध परीक्षा कार्यक्रम (Time-bound Schedule) अनिवार्य रूप से जारी किया जाए।

11. जेपीएससी एवं जेएसएससी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की त्रुटि, अनियमितता अथवा प्रक्रिया संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर उसकी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जाँच हेतु एक स्थायी निगरानी समिति (Monitoring Committee) का गठन किया जाए। अभ्यर्थियों एवं

Whistleblowers द्वारा उठाई गई शिकायतों की गोपनीयता सुनिश्चित करते हुए उनका समयबद्ध निस्तारण किया जाए तथा जाँच की कार्रवाई एवं निष्कर्ष सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराए जाएँ।

12. TGT-2016 के उन मेधावी अभ्यर्थियों की नियुक्ति किया जाए जो न्यूनतम निर्धारित कट ऑफ से ऊपर है।

13. उर्दू JTET पास अभ्यर्थियों को यथाशीघ्र नियुक्ति किया जाए क्योंकि विभाग में भारी मात्रा में पद रिक्त (3700 पद) हैं।

14. माध्यमिक आचार्य नियुक्ति में अन्य सभी विषयों की जो आहर्ताएं रखी गई है वही अहर्ता क्षेत्रीय व जनजातीय भाषा को आवश्यक रूप से पालन किया जाए।

"हमारी प्रमुख अन्य मांगें

1. नियमित वहाली

राज्य के सभी सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं सार्वजनिक पुस्तकालयों में Librarian तथा अन्य रिक्त पदों पर शीघ्र नियमित नियुक्ति की जाए।

2. झारखंड सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम (Jharkhand Library Act) लागू किया जाए

झारखंड सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू कर राज्य की पुस्तकालय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाए।

3. आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त की जाए

पुस्तकालयों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्ति की व्यवस्था बंद की जाए तथा BLIS/MLIS योग्य अभ्यर्थियों की नियमित नियुक्ति सुनिश्चित की जाए।

4. नई शिक्षा नीति (NEP-2020) का पालन किया जाए

NEP-2020 के अनुरूप सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षित Librarian की नियमित नियुक्ति की जाए।

5. समीक्षा एवं पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए

राज्य के सभी पुस्तकालयों की व्यापक समीक्षा कर आवश्यक मानव संसाधन एवं आधारभूत सुविधाएँ तत्काल उपलब्ध कराई जाएँ।

6. JET में Library & Information Science को शामिल किया जाए

JET परीक्षा में Library & Information Science विषय को शामिल कर योग्य अभ्यर्थियों को समान अवसर प्रदान किया जाए।